



## बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

काटल्य नगर, पटना-14, फोन न0—2223727,2224529 फक्स न0— 2224529

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-17 / 2016

1. निवादाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना । 2. निवादा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय **09-04-2016** को अपराह्न 11.00 बजे से । 3. निवादा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय **11-04-2016** को अपराह्न 17.00 बजे तक 4. निवादा अप लोड करने की तिथि एवं समय : **13-04-2016** को अपराह्न 15.00 बजे तक । 5. निवादा की तकनीकी बीड़ खोलने की तिथि एवं समय : **16-04-2016** को **15.30** बजे अपराह्न । 6. निवादा खोलने का स्थान—बेवसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर । 7. निर्माण कार्य का योग्य :-

## 7. नमाण काय का व्यारा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रावक्षलता राशि (लाख रु. में)	अधिन की राशि लाख में	परमाण निपत्र का मूल्य लाख में	प्राप्तद प्रसंस्करण शुल्क लाख में	कार्य समाप्ति की अवधि	श्रीमा (कैटगरी)
1.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-१६, पटना परिसर में ६ अपर सबोर्डेनेट आवासीय भवन के ६ ब्लौक, पहुँच पथ का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	749.00	149800	10000	17175	6 माह	
2.	पटना जिलान्तर्गत बिहार गृह रक्षा बहिनी मुख्यालय, पटना परिसर में ३० सिपाहियों के बैरक, स्थानांनय एवं लेखा कर्मचारी हेतु भवन का जीर्णोद्धार, चहारादिवारी एवं गैरज का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	86.10	139400	10000	5725	6 माह	
3.	भोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना में ग्रेड-III थाना भवन, पहुँच पथ, चहारादिवारी एवं पेरर ब्लौक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	155.00	310000	10000	5725	9 माह	
4.	भोजपुर जिलान्तर्गत चरयोखरी थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6-लोअर सबोर्डेनेट आवास, ५ अपर सबोर्डेनेट आवास, पहुँच पथ, एवं चहारादिवारी का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	305.00	610000	10000	17125	12 माह	
5.	भागलपुर जिलान्तर्गत सजोर ओ०पी० में ग्रेड-II थाना भवन, 40 सिपाहियों के बैरक, चहारादिवारी, पहुँच पथ, वाच टावर एवं संतरी पोस्ट का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	177.07	354200	10000	5725	12 माह	
6.	लखीसराय जिलान्तर्गत सीरी बाजार थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 4 अपर सबोर्डेनेट आवास एवं ६ लोअर सबोर्डेनेट आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	250.40	500800	10000	5725	12 माह	
7.	दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ा थाना में ५ सोटेड महिला शैक्षालय-सह-स्नानागार का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य	10.20	20400	2500	1145	4 माह	पिछड़ा वर्ग
8.	दरभंगा जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के आवासीय भवन का जीर्णोद्धार कार्य	12.06	24200	2500	1145	4 माह	सामान्य
9.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-६ में एस०टी०एफ० के लिए ऑपरेशनल बिल्डिंग का विद्युतिकरण कार्य	20.01	40100	5000	1145	2 माह	
10.	भागलपुर जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय-सह-आवासीय परिसर में चहारादिवारी को ऊँचा करने तथा मोर्चा का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	31.85	63800	5000	1145	4 माह	
11.	कटिहार जिला पुलिस केन्द्र में अर्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	178.89	357800	10000	5725	12 माह	
12.	पटना जिलान्तर्गत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (B.H.G.) बिहटा में बैरक (ब्लौक-३) का विशेष मरम्मत कार्य (पुनर्निविदा)	10.96	22000	2500	1145	1 माह	अनुसंधि त जाति
13.	मुख्यमंत्री जिलान्तर्गत रुद्रपुर थाना में चहारादिवारी का निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	20.31	40700	5000	1145	3 माह	
14.	सारण जिलान्तर्गत महोरा थाना में अनुमण्डलीय अर्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	110.37	220800	10000	5725	12 माह	
15.	शिवर जिलान्तर्गत पुलिस लाइन में 12 लोअर सबोर्डेनेट आवास (ब्लौक-३) का अवशेष कार्य (पुनर्निविदा)	91.33	182700	10000	5725	6 माह	
16.	शिवर जिलान्तर्गत पुलिस लाइन में १६ शेयरा वाले प्राथमिक अस्पताल भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	95.53	191100	10000	5725	7 माह	

8. निविदा वैधता की अवधि 180 दिन होगी ।

9. 10 लाख से ऊपर की निवादा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। 15 लाख तक की निवादा में आरक्षण लागू रहेगा।

स निवादा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक सर्तें अपोहस्तकारी के कार्यालय के बैकसाइट [www.bpbcc.co.in](http://www.bpbcc.co.in) / बैकसाइट [www.eproc.gov.in](http://www.eproc.gov.in) तथा निम्न कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-09-04-2016 के 11.00 बजे अपलोड  
से प्राप्त की जा सकती है।

10. उपरोक्त नियमी कार्य की 2 करोड़ से उपर की नियिदा S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त की जायगी, जो नियिदा 40 लाख से उपर की है वह द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी एवं 40 लाख से नीचे की नियिदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी । परिमाण विप्रक की नियारित परिश के अनिवार्यता 300 लाख से उपर के कार्य के लिए ₹० 15,000/- + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से उपर के कार्य के लिए ₹० 5,000/- + 14.50 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹० 10,000/- + 14.50 प्रतिशत परिमाण विप्रक के मूल्य के साथ ही कार्य के लिए राशि जो वापस नहीं होगा । नियिदा प्रसरकरण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र औन लाइन मोबायल यथा क्रेडिट / डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RGTS से बैंकसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का उपयोग करते हुए यथा नियिदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पर्व भुगतान करना अनिवार्य है । नियम विलब्र / नियिदा अपलोड नहीं करने, इंटरनेट कनेक्शन की अवास्था नहीं होने पर विलब्र / नियिदा अपलोड करने का अनिवार्य नियम है ।

अनुपलब्धता, नटवक यातायात / छुटिट्या या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। शेष प्रजिमाण विपत्र का सब्ल्यू शेड्यूल्ड बैंक द्वारा निर्गत बैंक डाक्ट जो आधार-सह-प्रबंध नियंत्रक बिहार प्रजिम भवति

शब्द पालना। विप्रक का भूल राज्यपूर्वक बहु द्वाषा। अवसर बहु छान्ति जा अधिक्ष-सह-प्राप्त-विद्यश, विद्या। पुलुभ भवन निमाण निगम, पटना के नाम से ही थाटा पटना में सुनाते दिन-कान- 11-04-2016 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। प्रत्येक राज्याणि को मृत्यु जो निवारा के समाने उपर अंकित है, को लौटाया जायगा।

**अग्रवाल की राशि** / बैंक ड्राफ्ट मूल का जगत के साथ विहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक—**13-04-2016** तक का बाबा हुआ हो खोकाको किया जायगा। इन विदाए से सर्वोचित कार्यों के प्रभारण—विपरीत का मृत्यु तथा विषेश रूप से अप्रयत्न की देव राशि की मूल रस से निगम कार्यालय का दिनांक **16-04-2016** के अप्राह्णा

3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा।

11. नियमांतरा अंकित क्रमांकोंविराग आधारां के तहत आरपण किया जाता है। संस्करण प्रथिका से नियमांतरा जाति प्रमाण पत्र की उच्च-अधिकारियों पर तथा उच्च पत्र निवित्रा के सभी संस्करणों को अनिवार्य होता है। विविदाकार दाली एवं मुख्य संस्करणांगत प्राप्त जाने-

रव्य—जनप्राप्तिगत अनुसार तथा साध्य पत्र का नामकरण करने का साथ सलाह करना आवश्यक होगा। नामकरण करने का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि नामकरण करने की जाएगी तथा संस्थापक विधि के सुधारों से उन्हें हमेशा के लिए बंधित रखा जाएगा।

एक वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रावद्यानों के अधीन सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, नियम उपकरण प्राप्तिकरण, परिषद एवं नियका द्वारा आवंटित कार्यों की अधिकारियम सीमा ₹ 50.25.00 लाख (पचास लाख) होगी। इस हेतु संघीयता को एक साध्य पत्र के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में विधायिका प्रति प्रावद्यान के आद्यार पर अब तक उत्तर आवंटित सभी कार्यों की कल राशि या प्राप्त पत्र (अभियंत्रण) देना अनिवार्य होगा।

13. (क) आरक्षित कोटे की निवादा में भाग लेने हुए कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप सम्बुद्धि श्रेणी में यथा प्रावधानित ठीकदारी पंजीकरण कराना नियम में आवश्यक होगा। त्रिसक्षण पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी। इस श्रेणी में निवधित संवेदन 15.00 लाख तक की निवादा में ही भाग ले सकते हैं। जो संवेदन पर्यंत से नियम में निवधित हैं एवं आरक्षित कोटि के हैं वे निवादा में भाग ले सकते हैं। उन्हें निवंशित कराना अनिवार्य नहीं होगा।

13. (ख) अन्य सरकारी विभाग यथा— सभी कार्यों विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपकरण, प्राप्तिकरण, परिषद एवं निकाय के निवित्त सम्बोधक भी नियिदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु नियिदित कार्य आवश्यक होने पर एकरानन्मा के लिए जल्दी विभाग में नियिदित करना अवश्यक देखा जाए।

के पूर्व उन्हें निपाम में निवाल करना अनिवार्य होगा।

14. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निवादा के लिए विद्युतीकरण कार्य का वैध लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संबद्ध द्वारा सब काटेंटर के रूप में रखरखाव भी निवादा में भाग लिया जा सकता है।

जागरूकता का विद्युतीकरण कार्य के संपर्क में रहने का एक अधिकारी है। इसके द्वारा सब कार्बन टॉप-प्रत्र संलग्न वेद्य लाइसेंस सलाना करना अनिवार्य होगा।

परियोग वित्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रदण एक एकरासामन से पूर्व लिया जायेगा।

- सभी गैर-अनुसूचित मदों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संबोधक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में वित्तीय रीढ़ अमावस्या नामी जायगी।
- किसी कार्य की प्रथम विनियोगी प्राप्त होने पर उसकी पुनरन्विदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमत्रित की जा सकती है।
- निम्न संवेदन निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे:- (i) डिबार (Debar) या काली सदी में दर्ज (ii) जिनके पास एकरानामा के

18. नमां संवेदक कानिवाद म भगवान् लेन का पत्रां पढ़ा हाँ। (i) इदार (Debar) या काली झूला म दर्ज, (ii) जगन्नाथ पास एकरात्राना क अनुसार कार्य क्रामात्तिके लिए के पश्चात आकर्षण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त लिखित अधिगम में एकरात्राना नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरात्राना कर्त्रारप्रथा नहीं किए हों।

19. प्राकृतित राशि में कमी या बढ़ि हो सकती है, तदनुसार परिस्थिति के अनुसार ही अग्रधन की राशि देख होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायगी। अग्रधन की राशि छः/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, विसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यालयक अधियक्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो।

हो मान्य होगा । इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निवादा हुतू बैंक गरण्टी जो निवादा के मान्य अवधि तक के लिये बहुत अवश्यक ठेक से निर्भाव हो, मान्य होगा ।

नोट :- ई-निवादा-प्राप्ति [www.erproc.bihar.gov.in](http://www.erproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है ।

नाट :— इनायदा पत्र [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।